

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

118/3

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.
सम्पतराम पुत्र तुलछा जाति मेघवाल निवासी पालडी जोधा तहसील व जिला नागौर
वादी

बनाम

1. तुलछा पुत्र अरजन (अर्जुना)
 2. घेवरराम पुत्र तुलछा
जाति मेघवाल निवासीगण पालडी जोधा तहसील व जिला नागौर
 3. लिछमणराम पुत्र बिरदाराम गौद पुत्र पुनाराम जाति मेघवाल निवासी कुकरोद तहसील
परबतसर जिला नागौर
 4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर
 5. सब
प्रतिवादीगण
- रजिस्ट्रार, नागौर

वाद वास्ते घौषणा खातेदारी, विभाजन खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
मुकदमा नम्बर 27/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु
बहाजरी _____ मिनजानिब मुदई व _____
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि मौजा पालडी
जोधा में वादी को खसरा नम्बर 1053 की 16.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपना
हिस्सा खसरा नम्बर 525 की 13.13 बीघा का प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय करने से कोई
हिस्सा नहीं, प्रतिवादी संख्या 2 को खसरा नम्बर 612/1348 की 5.10 बीघा व खसरा नम्बर
1491/610 की 8.10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि बंटवाडे में दी जाती है।
बीज _____ मुबलिग. _____ बाबत् _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह
_____ फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. _____ को अदा करें।

बसबत मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-3-16 को जारी की गई।



(ए.एच.गौरी)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुद्दै	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नाम	—	—
स्टाम्प वकालात नाम	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

॥
 (ए.ए.ए. गौरी)
 सहायक कलक्टर (मु.) नागौर